अपील सूचना का अधिकार संख्या 171/2020 (RCMS 2020/00300) विजय कुमार गरोहा, अधिवक्ता, चैम्बर नं. 157, न्य चैम्बर काम्पलैक्स, जिला कचहरी रोहतक–124001 (हरियाणा) (मोबाईल नम्बर 94165–15997) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.01.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कुमार गरोहा एवं श्री हरीश टाक, तहसीलदार, सादुलशहर सूचनाओं सहित उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री विजय कुमार ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को एक आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2020 से प्रस्तुत करके 12 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी तहसीलदार, सादुलशहर ने कथन किया कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत देय सूचना अपने पत्रांक भू.अ./आरटीआई/2020/3641 दिनांक 23.12.2020 से प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है जबकि **"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है' फिर भी उनके द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अपीलार्थी को उक्तानुसार उपलब्ध करवाया जा चुका है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

मैनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार गरोहा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को बतौर टीनेन्सी गांव सरदारपुरा जीवन के 5 एसपीएम की सिंचाई भूमि दिनांक 04.06.1974 को खेतीबाड़ी हेतु अलॉटमैंट हुई थी या नही? यदि हाँ तो कृपा करके उपरोक्त टीनेन्सी हेतु आपकी राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की सनद या प्रमाण पत्र की लिखित रूप में सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करे।
2. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को टीनेन्सी हेतु सिंचाई भूमि 5 एसपीएम में कितनी रकबा जमीन किस आधार पर राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कोई अलॉटमेंट की गई थी या नही? यदि हाँ तो कृपा करके मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को अलॉटमैंट की गई सिंचाई भूमि का कुल रकबा उनके किल्ला, खेवट, खतौनी मुख नम्बर इत्यादि की लिखित रूप से सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
3. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ने टीनेन्सी हेतु सिंचाई भूमि 5 एसपीएम हेतु किसी भी प्रकार की राशि की अदायगी की थी या नही? यदि हाँ तो मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) न

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्थान राज्य सरकार को कितनी–कितनी राशि का कब–कब भुगतान किया, की लिखित रूप में सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

4. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान की टीनेन्सी हेतु सिंचाई भूमि 5 एसपीएम पर कब तक काश्त की थी तथा सम्बन्धित भूमि का सरकारी भुगतान राजस्थान राज्य सरकार को समायानुसार भुगतान कर रहा था या नही? यदि हाँ तो कृपा करके काश्त की गई अवधि की तथा सरकारी भुगतान बतौर भू–राजस्व की लिखित रूप में सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

5. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) को राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 04.06.1974 में अलॉटमैंट हुई कृषि भूमि को मृतक रसाला पुत्र श्री हरफूल किसी अन्य व्यक्ति के पास रहन, विक्रय, तबादला, ऋण इत्यादि पर रख सकता था या नही? यदि हाँ तो कृपा करके लिखित रूप में सूचित करें कि मृतक उपरोक्त कृषि भूमि के आधार पर क्या–क्या कार्यो हेतु उपयोग में ला सकता है, कि लिखित रूप में सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

6. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) ने अपने जीवनकाल में अपनी कृषि भूमि के रकबा का बेचान करके विक्रय पत्र तैयार करवाया था या नही? यदि हाँ ता कृपा करके उपरोक्त रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11 बीघा हेतु विक्रय इकरारनामा कब तैयार किया गया था तथा उपरोक्त बिक्री पत्र कितनी राशि में कब रजिस्टर्ड किसके पक्ष में करवाया गया था, की लिखित रूप में जानकारी सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

7. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ने अपने जीवनकाल में अपनी टीनेन्सी के आधार पर गाँव सरदारपुरा 5 एसपीएम की कुल कितने रकबा सिंचाई भूमि का विक्रय या बिक्री कर दी थी या नही? यदि हाँ तो कृपा करके बिक्री की गई कृषि भूमि के रकबा के बिक्री पत्र व इन्तकाल इत्यादि गवाहों के नाम सहित सम्पूर्ण विवरण देते हुए बिक्री पत्र व इन्तकार की लिखित रूप से सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

8. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) की मृत्यु की सूचना मृतक रसाला पुत्र श्री हरफूल के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों में भू–रासस्व रिकार्ड कब दर्ज करवाई थी या नही? यदि हाँ ता कृपा करके किस तारीख को किस सदस्य अथवा रिश्तेदार ने भू–राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाई थी, उसकी लिखित जानकारी की सत्यापित कापी देकर सूचित करें।

9. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) की मृत्यु के पश्चात् भू राजस्व रिकार्ड में मृतक रसाला के परिवार के सदस्यों का विवरण भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आज तक दर्ज हुआ है या नही? यदि हाँ तो कृपा करके मृतक के परिवार के सदस्यों का पूरा–पूरा विवरण, नाम, उम्र, लिंग इत्यादि की लिखित सूचना की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

10. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) के भू राजस्व रिकार्ड में मृतक रसाला के परिवार के कुल कितने सदस्य जीवित अथवा अजीवित का कभी विवरण आज तक कभी दर्ज हुआ है या नही? यदि हाँ तो कृपा करके मृतक रसाला भू राजस्व रिकार्ड में कितने पुरूष व कितनी महिला जीवित अथवा मृतक दर्शाई गई, उन समस्त की लिखित रूप में जानकारी की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

11. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर (राजस्थान) की मृत्यु के बाद आज तक कोई भी बिक्री पत्र व इन्तकाल तैयार हुए है या नही? यदि हाँ तो कृपा करके आज तक मृतक रसाला की कृषि भूमि से सम्बन्धित किस व्यक्ति के द्वारा कितने बिक्री पत्र व इन्तकाल दर्ज हुए उप समस्त की लिखित रूप से जानकारी की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

12. क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर(राजस्थान) को दिनांक [illegible]74 से लेकर आज तक जमाबन्दी तैयार की [illegible] है या नही? यदि [illegible] जमाबन्दी तैयार होने की समयावधि की लिखित जानकारी समस्त जमाबन्दी आज तक की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपने पत्रांक भू.अ./आरटीआई/2020/3641 दिनांक 23.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों द्वारा आवेदक श्री विजयकुमार गरोह, एडवोकेट द्वारा चाही गई सूचनाएं बिन्दुवार निम्नानुसार हैः 1. मृतक रसाला उर्फ रिसाला पुत्र श्री हरफूल जाति धानक निवासी श्रीगंगानगर के नाम चक 5 एसपीएम की जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में खाता संख्या 68/51 में 2.024 है. नहरी खातेदारी दर्ज थी। नकल जमाबन्दी संलग्न है। सनद या प्रमाण–पत्र तहसील हाजा से जारी नही होती है। 2. मृतक रसाला वल्द हरफूल के नाम चक 5 एसपीएम के प.न. 19/194 मु.न. 32 कि.न. 11 से 13, 16 से 20/2.024 है. नहरी कुल 2.024 है. नहरी भूमि खातेदार दर्ज थी। नकल जमाबन्दी संलग्न है। 3. मुताबिक सेल रजिस्टर वर्ष 1957–58 के खाता सं. 17 के अनुसार रसाला वल्द हरफूल जाति धानक सा. गंगानगर के द्वारा सरकार को 5320/–रूपये का राजकोष में भुगतान किया जाना अंकित है। प्रमाणित चित्रप्रति संलग्न है। 4. काश्त बाबत् किसी भी प्रकार के कोई भी रिकॉर्ड का संधारण नही किया जाता है। अतः काश्त की सूचना दी जाना संभव नही है। भू–राजस्व बकाया नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. मृतक रसाला अपने नाम दर्ज भूमि को बैंक के पास रहन रख सकता था, विक्रय कर सकता था तबादला कर सकता था। किसी व्यक्ति के पास रहन नही रख सकता था।

6. मुताबिक राजस्व रिकार्ड मृतक रसाला के नाम 2.024 है. भूमि दर्ज है, जिसमें विक्रय इकारारनामा का अंकन नही है। रसाला के फौत होने पर भूमि उसके वारिसों के नाम दर्ज हुई थी। जिसमें से दो वारिसों द्वारा क्रमशः गीता व दर्शना द्वारा कुल 1.012 है. रकबा का बेचान जयदीप पुत्र ओमप्रकाश 0.506 है. व तीजादेवी पत्नी ओमप्रकाश 0.506 है. पंजीयन क्रमांक 00017/22.03.2017 व 000500/31.03.20215 है।

7. मृतक रसाला द्वारा विक्रय नहीं किया गया है। उसके वारिसों द्वारा विक्रय किया गया है। ई.न. 424, व 455 द्वारा 1.012 है. भूमि का विक्रय हुआ है। प्रमाणित चित्रप्रति संलग्न है।

8. मृतक रसाला का विरास्तन इन्तकाल ई.नं. 396 दिनांक 24.09.20214 को दर्ज हुई है। भूमि किसके द्वारा दर्ज कराई गई है, उसका रिकार्ड उपलब्ध नही है।

9. भूमि रसाला के वारिसों क्रमशः मदन पुत्र रसाला गीता रोशनी दर्शना पुत्रीयां रसाला के नाम ई.न. 396 से दर्ज हुई। मुताबिक वारीस प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत बामला तहसील जिला भिवानी दिनांक 23.09.2014 गीता 55 वर्ष, रोशनी 52 वर्ष, मदन 48 वर्ष, दर्शना 42 वर्ष दर्ज है।

10. मृतक रसाला के 4 वारिसों के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ था जिसमे एक पुरूष व 3 महिला है।

11. मृतक रसाला के नाम दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में बिक्री का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इन्तकाल इर्ज नहीं है। वारिसान ने 1.012 है. भूमि के बेचान किया है जिसमें बैयनामा संलग्न है।

12. मृतक रसाला के नाम की जमाबन्दी तैयारी की गई है। जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 संलग्न है। अन्य जमाबन्दियों की प्रमाणित प्रतियां हेतु वर्षवार विवरण देकर उपतहसील लालगढ़ जाटान के कार्यालय के कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
सादुलशहर

तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर ने उक्त का अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी विजय कुमार गरोहा, एडवोकेट ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2020 के द्वारा 12 बिन्दुओं की सूचना चाही है। प्रार्थी ने विजय कुमार गरोहा एडवोकेट के नाम से प्रार्थना पत्र दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है।** अधिवक्ता कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थी को अधिवक्ता होने के कारण सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फिर भी आवेदन के सम्बन्ध में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक [illegible]20/3641 दिनांक 23.12.2020 से जरिये डो भिजवाई गई है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
सादुलशहर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिकों को है और प्रार्थी ने अधिवक्ता की हैसियत से सूचना चाही है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते है फिर भी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सादुलशहर द्वारा आवेदक को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है वह सही है और जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पूर्व में भिजवाई गई सूचनाएं पुनः रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवा दे।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:47 IST
Reason: SelfAttested